

तुरन्त/कोर्ट केस

प्रेषक

निदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा
पंचकूला।

सेवा में

प्राचार्य
हरियाणा राज्य में स्थित सभी राजकीय महाविद्यालय।

यादी क्रमांक के0डब्ल्यू0 22/115-2015 सी-1(4)
दिनांक पंचकूला 02/11/15


विषय:-

Extension lecturer/ Resource persons से सम्बन्धित सिविल याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय में जवाबदावा दायर करना सुनिश्चित करने बारे।

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक के0डब्ल्यू0 22/115-2015 सी-1(4)

दिनांक 8.10.2015 के सन्दर्भ में।

सभी प्राचार्यों को पुनः निर्देश दिए जाते हैं कि Extension lecturer/ Resource persons से सम्बन्धित सिविल याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय में जवाबदावा दायर करने हेतु जवाबदावा तैयार करके निजि स्तर पर विभागीय लीगल सैल से वैट करवाने उपरान्त महाधिवक्ता हरियाणा कार्यालय से वैट करवाकर माननीय न्यायालय में समय रहते दायर करना सुनिश्चित करें।


उप-निदेशक-1

कृते: निदेशक उच्चतर शिक्षा,
हरियाणा, पंचकूला
16